



सोलहवीं राजस्थान विधान सभा

षष्ठम्-सत्र

विधान सभा समाचार (बुलेटिन)

भाग-2

विधान शाखा

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या: 78

विधान सभा भवन,

जयपुर, दिनांक : 19 अगस्त, 2026

सम्भावी शासकीय विधायी एवं वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के षष्ठम सत्र की गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त, 2026 से प्रारम्भ होने वाली बैठकों में निम्नलिखित शासकीय वित्तीय एवं विधायी कार्य लिये जाने की सम्भावना है:-

(क) वित्तीय कार्य:-

प्रस्तावित दिनांक

- | | |
|--|------------|
| 1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2026-27 (प्रथम संकलन) | 21.08.2026 |
| 2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | 21.08.2026 |
| 3. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च, 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा | 21.08.2026 |
| 4. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च, 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 3 | 21.08.2026 |
| 5. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) | 21.08.2026 |
| 6. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा | 21.08.2026 |

(ख) माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सदन के समक्ष पुनर्विचारार्थ संदेश के साथ लौटाये गये विधेयक:-

- व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक सं. 2)
- सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करोली) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक सं.14)
- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्या 30)
- कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्या 31)
- राजस्थान लिंगिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या 22)
- राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्या 18)
- आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020(2020 का विधेयक संख्या 32)
- राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्या 34)
- नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्या 35)
- राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या 23)

उपर्युक्त विधेयकों के अतिरिक्त और भी विधेयक प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिसकी सूचना यथा समय प्रेषित कर दी जावेगी।

भारत भूषण शर्मा

प्रमुख सचिव